

\*प्रेस नोट\*

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*दिनांक 19.12.2025\*

### दबिश के दौरान 14 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. वलीउल्लाह पुत्र रियाजुल्लाह निवासी परसाशेख 02. मुन्नीलाल पुत्र भगेलू निवासी राजापुर सरैया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री शोभनाथ, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, है0का0 विनोद यादव, का0 अमरजीत यादव, का0 अरविन्द गौड़।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. राम बक्स पुत्र श्यामदेव ग्राम दुधरा कला 02. रामफेर पुत्र बैजू उर्फ बैजनाथ ग्राम छितौनी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 गौरव चौहान।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. रामसुभग पुत्र सुख्खू साकिन सांखी 02. अनिल कुमार पुत्र रामप्रसाद साकिन शिवबखरी 03. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद साकिन शिवबखरी 04. विजय कुमार पुत्र रामप्रसाद साकिन शिवबखरी 05. रामभुआल पुत्र किशोर साकिन शिवबखरी 06. रामजीत पुत्र रुपई साकिन शिवबखरी 07. गौरीशंकर मौर्या पुत्र राजबली साकिन शिवबखरी 08. रुदल पुत्र प्रभू साकिन कोदवट 09. तिलकधारी पुत्र दशरथ साकिन मुखलिसपुर 10. कुनाल उर्फ आदित्य पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ पिन्टू सिंह साकिन चन्दहर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री नागेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 सन्नी यादव, है0का0 नुरुद्दीन खान, का0 राजमंगल यादव, है0का0 श्रीकान्त यादव, का0 बब्ल यादव व का0 विकास साहनी।

### \*पीआरवी आफ द डे\*

\*पीआरवी 6886 द्वारा दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल\*- पीआरवी 6886 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत दुधारा चौराहा से कालर द्वारा अज्ञात वाहन द्वारा बाईंक को टक्कर मार देने से दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.अवधेश पुत्र रामवृक्ष सा0 रमवापुर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

\*पीआरवी स्टाफ\*- है0का0 अमरेन्द्र कुमार, का0 इन्द्र कुमार मौर्या, हो0चा0 जयप्रकाश।

### \*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार\*

- ❖ \*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना बखिरा पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 95,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.12.2025 को जनपद सन्तकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 95,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

\*“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 4500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 19.09.2025 को \*माननीय न्यायालय ए0सी0जे0(जे0डी0)-1 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500-1500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

\*घटना विवरण:-\*

उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा श्री राजू केवट पुत्र स्व0 कुमारे निवासी दुबौली थाना धर्मसिंहंव जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहंवा पर बावत अभियुक्तगण 01. भगवान दास पुत्र हरीराम 02. जगदीश पुत्र हरीराम 03. हरीराम पुत्र भूलन निवासीगण दुबौली थाना धर्मसिंहंवा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धर्मसिंहंवा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 श्री तुलसी प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

\*सजा विवरण:-\*

एन0सी0आर0 नं0 25/2012 धारा 323/504/506 भादवि थाना धर्मसिंहंवा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500-1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

\*“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 1500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 19.09.2025 को \*माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

\*घटना विवरण:-\*

उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा श्री लालसा यादव पुत्र रामपियारे निवासी गाईबसंतपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर बावत अभियुक्त हरिहर यादव पुत्र मनिराम निवासी बसंतपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 श्री अली अजहर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

\*सजा विवरण:-\*

मु0आ0सं0 340/2000 धारा 323/504/506(2) भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध के आधार पर धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रु0, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में 500 रु0 व धारा 506(2) भा0द0वि0 के अपराध में 1000 रु0 के अर्थदण्ड व जेल में बिताई गयी अवधि से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एकट में वांछित 03 गैंगेस्टरों को किया गया गिरफ्तार\*

**\*10 हजार रु0 का ईनामी गिरफ्तार गैंगेस्टर सुनील विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद \*श्री अमित कुमार\* के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी कोतवाली खलीलाबाद \*श्री पंकज कुमार पाण्डेय\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 890/2025 धारा 2(b)(I)/2(b)(xi)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों 01. सुनील विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी जंगलखुर्द गोडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर (10 हजार रु0 का ईनामियां) 02. मुकेश गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 03. सत्येन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मेहदावल बाझपास बस स्टैण्ड के पास से नियमानुसार आज दिनाँक 20.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

**\*सुनील विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम(10 हजार रु0 का ईनामियां) का अपराधिक इतिहास\*-**

01. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 147,148,149,395,323,506,376(D) भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. मु0अ0सं0 19/2025 धारा 115(2), 117(2), 351(3),352 बी0एन0एस0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
03. मु0अ0सं0 890/2025 धारा 2(b)(I)/2(b)(xi)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

**\*सत्येन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव का अपराधिक इतिहास\* -**

01. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 147,148,149,395,323,506,376(D) भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. मु0अ0सं0 890/2025 धारा 2(b)(I)/2(b)(xi)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

**\*मुकेश गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता का अपराधिक इतिहास\*-**

01. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 147,148,149,395,323,506,376(D) भा0द0वि0 थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. मु0अ0सं0 890/2025 धारा 2(b)(I)/2(b)(xi)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\***

01. सत्येन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।
02. मुकेश गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।
03. सुनील विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी जंगलखुर्द गोडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*-** उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, है0का छोटेलाल सिंह, का0 बहादुर सिंह ।